

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था02/02-9/2015

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार,
पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, गया, नवादा, अरवल, औरंगाबाद,
जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, सारण, सिवान, गोपालगंज,
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, प० चम्पारण(वेतिया),
वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, बाँका, सहरसा, सुपौल,
मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज कटिहार, कैमुर (भभुआ) बेगुसराय एवं
शेखपुरा।

विषय:- आर्थिक गणना योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना बजट से मुख्यालय
एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना मद में स्वीकृतादेश
संख्या-69 दिनांक 13.01.2016 के आलोक में कुल आवंटित राशि 7,00,80,000/-
(सात करोड़ अस्सी हजार) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त
विभाग ने अपने पत्रांक-3429 दिनांक- 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है
कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बिहार विनियोग
(लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

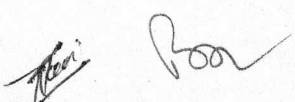
2. कंडिका-02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न विवरणी के अनुसार
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा
सांख्यिकी, 204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष- केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष-
0401- आर्थिक गणना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र
कोड-S/3454022040401 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 39 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप
निदेशक (आहरण एवं व्ययन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी जिला
सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर संबंधित आवंटन
आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करेंगे। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर
अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और
राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।



7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 368 दिनांक 30.03.2013 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश संख्या-69 दिनांक 13.01.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष-2015-16 में नियमानुसार राशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।
10. आवंटित राशि का व्यय षष्ठम आर्थिक गणना 2013 के क्षेत्रीय कार्य का सम्पादन वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त आर्थिक गणना के सर्वेक्षण कार्य से संबंधित ऑकड़ों का कम्प्यूटराइजेशन एवं विभिन्न प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को पारिश्रमिक एवं पदाधिकारियों के मानदेय, प्रशिक्षण आदि अन्य मदों के बकाया भुगतान पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक/पटना, दिनांक

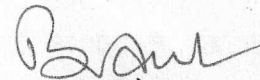
प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

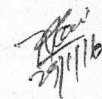
ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक 31/पटना, दिनांक 29-01-2016

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)
2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद वर्मा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।


निदेशक


29/1/16

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष- केन्द्रीय योजनागत योजना, उप शीर्ष- 0401- आर्थिक गणना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी । मांग सं० 35 एवं विपत्र कोड- S/3454022040401

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	26-01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	-	3600000	-	-	112600	3712600
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
1	पटना	-	-	1598000	-	470000	2068000
2	भोजपुर	-	-	841000	-	1000000	1841000
3	बक्सर	-	-	555000	-	942000	1497000
4	नालंदा	-	-	861000	-	770000	1631000
5	रोहतास	-	-	935000	-	1430000	2365000
6	गया	-	-	1255000	-	2810000	4065000
7	नवादा	-	-	704000	-	990000	1694000
8	अरबल	-	-	158200	-	378000	536200
9	औरंगाबाद	-	-	658400	-	230000	888400
10	जहानाबाद	-	-	331000	-	350000	681000
11	मुंगेर	-	-	480000	-	672000	1152000
12	लखीसराय	-	-	314000	-	505000	819000
13	जमुई	-	-	546000	-	135000	681000
14	खगड़िया	-	-	476000	-	562000	1038000
15	सारण	-	-	1223000	-	1950000	3173000
16	सिवान	-	-	974000	-	1900000	2874000
17	गोपालगंज	-	-	800000	-	1200000	2000000
18	मजफ्फरपुर	-	-	1316600	-	1660000	2976600
19	सीतामढ़ी	-	-	955000	-	1150000	2105000
20	पूर्वि चम्पारण	-	-	1403000	-	409000	1812000
21	शिवहर	-	-	181000	-	80000	261000
22	प० चम्पारण	-	-	1023900	-	750000	1773900
23	वैशाली	-	-	1041000	-	1900000	2941000
24	दरभंगा	-	-	1097100	-	506000	1603100
25	मधुबनी	-	-	1232000	-	2360000	3592000
26	समस्तीपुर	-	-	1203500	-	1870000	3073500
27	भागलपुर	-	-	961000	-	1350000	2311000
28	बाँका	-	-	639400	-	1500000	2139400
29	सहरसा	-	-	529300	-	552000	1081300

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	26-01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
30	सुपौल	-	-	630000	-	700000	1330000
31	मधेपुरा	-	-	573000	-	846000	1419000
32	पूर्णियाँ	-	-	826600	-	360000	1186600
33	अररिया	-	-	784000	-	161000	945000
34	किशनगंज	-	-	485000	-	1070000	1555000
35	कटिहार	-	-	919000	-	1350000	2269000
36	कैमुर (भभुआ)	-	-	542000	-	750000	1292000
37	बेगुसराय	-	-	875000	-	415000	1290000
38	शेखपुरा	-	-	137400	-	270000	407400
	कुल योग:-	-	3600000	30064400	-	36415600	70080000

(सात करोड़ अस्सी हजार रुपये मात्र)

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

27/1/16